न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ, जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी : – श्रीमती सीमा तिवाड़ी (RAS) उपखण्ड अधिकारी

वादपत्र संख्या :– 38/2020 **दायर तारीख 22.10.2020**

अनवान

1. कालु पिता नानूड़ा जाति कंजर उम्र वयस्क निवासी चिताबड़ा तहसील बिजालियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
2. गोपाल पिता नानूड़ा जाति कंजर उम्र वयस्क निवासी चिताबड़ा तहसील बिजालियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
3. सुरेन्द्र पिता जगदीश जाति कंजर उम्र वयस्क निवासी चिताबड़ा तहसील बिजालियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
4. रेखा पुत्री जगदीश जाति कंजर उम्र वयस्क निवासी चिताबड़ा तहसील बिजालियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
5. मंजू पुत्री जगदीश जाति कंजर उम्र वयस्क निवासी चिताबड़ा तहसील बिजालियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
6. धीसी पत्नि जगदीश जाति कंजर उम्र वयस्क निवासी चिताबड़ा तहसील बिजालियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
7. अनिल पिता छगना जाति कंजर उम्र वयस्क निवासी चिताबड़ा तहसील बिजालियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
8. लीला पुत्री छगना जाति कंजर उम्र वयस्क निवासी चिताबड़ा तहसील बिजालियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
9. कान्ता देवी पत्नि छगना जाति कंजर उम्र वयस्क निवासी चिताबड़ा तहसील बिजालियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
10. सम्पति पुत्री नानूड़ा जाति कंजर उम्र वयस्क निवासी चिताबड़ा तहंसील बिजालियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
11. मांगी पुत्री नानूड़ा जाति कंजर उम्र वयस्क निवासी चिताबड़ा तहसील बिजालियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
12. कान्ती पुत्री नानूड़ा जाति कंजर उम्र वयस्क निवासी चिताबड़ा तहसील बिजालियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

..................वादीगण

बनाम

1. शांतिलाल पिता धन्ना जाति कंजर उम्र वयस्क निवासी चिताबड़ा तहसील बिजालियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
2. बाबुलाल पिता धन्ना जाति कंजर उम्र वयस्क निवासी चिताबड़ा तहसील बिजालियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
3. मांगीलाल पिता नानूडा जाति कंजर उम्र वयस्क निवासी चिताबड़ा तहसील बिजालियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

.... प्रतिवादीगण

उपस्थित :– श्री ओमप्रकाश शर्मा – अधिवक्ता वादीगण

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियां (भीलवाड़ा)

वादपत्र अन्तर्गत धारा 183–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–: निर्णय :–

दिनांक : 24/05/2023

वाद पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है वादीगण ने एक वादपत्र अन्तर्गत **धारा 183–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम** प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम चिताबड़ा पटवार हल्का चान्दजी की खेड़ी स्थित आराजी नम्बर 17 रकबा 0–16 बीघा कृषि भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 3 संयुक्त रूप से सह खातेदार काश्तकार होकर उनके उपयोग उपभोग में चली आ रही हैं। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 3 वादग्रस्त आराजीयात पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे हैं। उक्त आराजीयात की कृषि भूमि का लगान निरन्तर राज्य सरकार में जमा कराते आ रहे हैं। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का उक्त आराजीयात में कोई हक अधिकार निहित नहीं हैं। वादीगण ने वादग्रस्त आराजीयात को प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को रहन विक्रय नहीं की हैं। उक्त वादग्रस्त आराजीयात पर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने अवैध रूप से कब्जा करने की नियत से दिनांक 20.02.2018 को अपनी तरफ से वादीगण की उक्त वादग्रस्त आराजीयात को जबरदस्ती हाक कर उस पर अवैध कब्जा कर लिया हैं तथा वादीगण द्वारा मना करने पर लडाई झगडा करने एवं मारपीट करने पर दोनो प्रतिवादीगण आमादा हैं वादीगण को वादग्रस्त आराजीयात पर फसल काश्त नहीं करने दी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने उक्त वादग्रस्त आराजीयात पर बिना किसी अधिकार के जबरन अवैध कब्जा कर लिया हैं।

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

लगातार पेज संख्या 02 पर

वादीगण ने अनुतोष चाहा कि ग्राम चिताबड़ा पटवार हल्का चान्दजी की खेड़ी स्थित आराजी नम्बर 17 रकबा 0–16 बीघा कृषि भूमि से प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को बेदखल किया जावे व वादग्रस्त आराजीयात का कब्जा वादीगण को पुनः सिपूर्द किये जाने कि डिक्री सादिर फरमायी जावें। एवं इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के सादिर फरमायी जावे कि वादग्रस्त आराजीयात पर कब्जा वादीगण को सिपूर्द किये जाने के बाद प्रतिवादी संख्या 1 व 2 वादग्रस्त आराजीयात पर पुनः अवैध कब्जा अतिक्रमण नहीं करें। वादीगण को बेदखल नहीं करे। वादीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी नहीं करे न ही किसी अन्य से करावें। साथ ही प्रतिवादी संख्या 3 औपचारिक पक्षकार होने से वादीगण द्वारा प्रतिवादी संख्या 3 के विरूद्ध किसी भी प्रकार का अनुतोष नहीं चाहते हैं।

वादपत्र दर्ज रजिस्टर करवाया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये समन मय नकल वादपत्र भेज करवायी गयी।

प्रकरण में प्रतिवादीगण की ओर से वाबजूद तामिल असालतन/वकालतन न्यायालय में उपस्थित नहीं हुये प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित किये गये।

साक्ष्यवादी में में पीडब्ल्यू–1 कालूलाल पिता नानूड़ा जाति कंजर नि0 चिताबड़ा को प्रस्तुत कर कथन लेख बद्ध करवाये गये हैं। जो शामिल पत्रावली हैं।

दस्तावेजी साक्ष्य में वादीगण द्वारा जमाबन्दी संवत् 2074–2077 मौजा चिताबड़ा की नकल पेश की जो **Ex-2** हैं। पत्थरगढी का मौका पर्चा की सत्यापित प्रतिलिपि **Ex-1** पेश किया हैं।

प्रकरण में प्रतिवादीगण की कोई जवाबदावा, साक्ष्य/दस्तावेज प्रस्तुत नही होने से शहादत बन्द की जाकर प्रकरण बहस में रखा गया।

बहस विद्वान अधिवक्ता वादीगण की सुनी गयी।

अधिवक्तावादी ने अपने वादपत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया हैं वाद की सत्यता बाबत् वादीगण ने स्वयं वादी कालूलाल के बयान कराये हैं। उक्त वादीगण की भूमि पर प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 का कब्जा होने के सम्बन्ध में पत्थरगढ़ी का मौका पर्चा की सत्यापित प्रतिलिपि प्रस्तुत की हैं। बेदखली की अवधि से कब्जा प्राप्ति तक का क्षति पूर्ति के बदले में मुआवजा दिलाये जाने की भी मांग की हैं।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया, विद्वान अभिभाषक वादीगण की बहस पर मनन किया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी संवत् 2074–2077 मौजा चिताबड़ा स्थित आराजी नम्बर 17 रकबा 0–16 बीघा कृषि भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का कब्जा पाया गया हैं। प्रस्तुत वादपत्र में वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 शांतिलाल पिता धन्ना कंजर निवासी चिताबड़ा तहसील बिजालियां व प्रतिवादी संख्या 2 बाबुलाल पिता धन्ना कंजर निवासी चिताबड़ा तहसील बिजालियां जिला भीलवाड़ा (राज0) के विरूद्ध डिक्री चाही हैं। जो वादीगण की पत्रावली में पेश दस्तावेज एवं साक्ष्य से उचित होकर प्रस्तुत वादपत्र वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 डिक्री किये जाने योग्य हैं।

अतः वादपत्र वादीगण अन्तर्गत **धारा 183 – 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम** प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के विरूद्ध डिक्री किया जाता हैं।

–: आदेश :–

वादपत्र वादीगण अन्तर्गत **धारा 183– 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम** बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 ड़िक्री किया जाकर आदेश दिये जाते हैं कि मौजा चिताबड़ा स्थित आराजी नम्बर 17 रकबा 0–16 बीघा कृषि भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को बेदखल किया जाकर कब्जा वादीगण को सिपुर्द किया जावें। एवं वादीगण की आराजीयात पर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा पुनः अवैध कब्जा अतिक्रमण नहीं करने, वादीगण को बेदखल नहीं करने, वादीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी नहीं करने न ही किसी अन्य से करवाने हेतु स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती हैं। खर्चा पक्षकारान स्वंय अपना अपना वहन करे। उक्तानुसार डिक्री मुर्तिब हों।

आदेश आज दिनांक 24/05/2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो।

(सीमा तिवाड़ी)
उपखण्ड अधिकारी
बिजोलियां

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

मूल वाद में डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज.)

बईजलास_श्रीमती सीमा तिवाड़ी (RAS) उपखण्ड अधिकारी

राजस्व वादपत्र संख्या :– 38 / 2020 **दायर तारीख 22.10.2020**

अनवान

1. कालु पिता नानूड़ा जाति कंजर उम्र वयस्क निवासी चिताबड़ा तहसील बिजालियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
2. गोपाल पिता नानूड़ा जाति कंजर उम्र वयस्क निवासी चिताबड़ा तहसील बिजालियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
3. सुरेन्द्र पिता जगदीश जाति कंजर उम्र वयस्क निवासी चिताबड़ा तहसील बिजालियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
4. रेखा पुत्री जगदीश जाति कंजर उम्र वयस्क निवासी चिताबड़ा तहसील बिजालियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
5. मंजू पुत्री जगदीश जाति कंजर उम्र वयस्क निवासी चिताबड़ा तहसील बिजालियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
6. घीसी पत्नि जगदीश जाति कंजर उम्र वयस्क निवासी चिताबड़ा तहसील बिजालियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
7. अनिल पिता छगना जाति कंजर उम्र वयस्क निवासी चिताबड़ा तहसील बिजालियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
8. लीला पुत्री छगना जाति कंजर उम्र वयस्क निवासी चिताबड़ा तहसील बिजालियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
9. कान्ता देवी पत्नि छगना जाति कंजर उम्र वयस्क निवासी चिताबड़ा तहसील बिजालियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
10. सम्पति पुत्री नानूड़ा जाति कंजर उम्र वयस्क निवासी चिताबड़ा तहसील बिजालियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
11. मांगी पुत्री नानूड़ा जाति कंजर उम्र वयस्क निवासी चिताबड़ा तहसील बिजालियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
12. कान्ती पुत्री नानूड़ा जाति कंजर उम्र वयस्क निवासी चिताबड़ा तहसील बिजालियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

..................वादीगण

बनाम

01. शांतिलाल पिता धन्ना जाति कंजर उम्र वयस्क निवासी चिताबड़ा तहसील बिजालियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
02. बाबुलाल पिता धन्ना जाति कंजर उम्र वयस्क निवासी चिताबड़ा तहसील बिजालियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
03. मांगीलाल पिता नानूडा जाति कंजर उम्र वयस्क निवासी चिताबड़ा तहसील बिजालियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

.... प्रतिवादीगण

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ (भीलवाड़ा)

डिक्री दिनांक :–24/05/2023

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसल कतई रूबरू न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियॉ बहाजरी वादीगण अधिवक्ता श्री ओमप्रकाश शर्मा प्रतिवादीगण एकपक्षीय हुकम दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि:–

वादपत्र वादी अन्तर्गत **धारा 183–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम** बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 ड्रिक्री किया जाकर आदेश दिये जाते हैं कि मौजा चिताबड़ा स्थित आराजी नम्बर 17 रकबा 0–16 बीघा कृषि भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को बेदखल किया जाकर कब्जा वादीगण को सिपुर्द किया जावें। एवं वादीगण की आराजीयात पर साथ ही प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को **स्थाई निषेधाज्ञा** द्वारा पुनः अवैध कब्जा अतिक्रमण नहीं करने, वादीगण को बेदखल नहीं करने, वादीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी नहीं करने न ही किसी अन्य से करवाने हेतु पाबन्द किया जाता हैं कि वादीगण के हिस्से की भूमि में प्रतिवादीगण दखलनदाजी नही करें। न अन्य किसी से करायेगें।

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

लगातार पेज संख्या 02 पर

नीज ....Nil..............................मुबलिग .... Nil ....बाबत् .. .. Nil ......खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शहर .... Nil ....फीस दी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक .... Nil ....का अदा करे।

बशब्द मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 24 माह 05 वर्ष 2023 को जारी किया गया।

(सीमा तिवाड़ी)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अरजीदया	–		स्टाम्प अरजीदया	–	
स्टाम्प वकालत नामा	–		स्टाम्प वकालत नामा	–	
स्टाम्प वजह सबूत	–		स्टाम्प वजह सबूत	–	
महनताना वकील ( )	–		महनताना वकील ( )	–	
खर्चा गवाह	–		खर्चा गवाह	–	
फीस कमीश्नर	–		फीस कमीश्नर	–	
बाबत् इजराय हुक्मनामा	–		बाबत् इजराय हुक्मनामा	–	
मुनफरिक	–		मुनफरिक	–	
मीजान			मीजान		

(सीमा तिवाड़ी)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा